

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
बेल्ट्रॉन भवन, पटना

सूचना

ERP पद्धति द्वारा राज्य सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा पर निगम की ओर से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर आदि के प्रतिनियुक्त से संबंधित कठिनाईयों/enquiry/शिकायत/अनुरोध संबंधी आवेदनों पर निगम द्वारा वर्तमान में कॉल सेंटर के तीन टेलीफोन न० यथा 0612-2281814, 9262994967, 9262994968 (ERP) की स्थापना के माध्यम से आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने एवं उनके निदान के लिए निगम की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए Grievance-redressal हेतु अतिरिक्त तीन कार्मिक कल्याण पदाधिकारियों नामित किया जा रहा है जो दूरभाष के माध्यम से निगम के सेवा प्रदाता की ओर से संविदा पर प्रतिनियुक्त अथवा CBT उत्तीर्ण पैनल के DEOs, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर/आई०टी० ब्यॉय/ गर्ल द्वारा प्राप्त कठिनाईयों/पृच्छा/अनुरोध/शिकायतों को पंजीकृत करेंगे एवं ERP टीम एवं मानव संसाधन प्रभाग एवं लेखा शाखा से समन्वय स्थापित कर मामले का निस्तारण करेंगे:

क्र० सं०	का०क०प० का नाम	बेल्ट्रॉन द्वारा संधारित CBT उत्तीर्ण पैनल के अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त कठिनाई/ आवेदन/ अनुरोध/ शिकायत आदि की श्रेणी	दूरभाष
1	श्रीमती संजीवनी, प्रबंधक (पी०एम०यु०)	अभ्यर्थी जिनका प्रथम नाम अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर A से G तक हो।	7779977796
2	श्री सुजीत कुमार, प्रबंधक (पी०एम०यु०)	अभ्यर्थी जिनका प्रथम नाम अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर H से R तक हो।	9155697799
3	श्री कैलाशपति मिश्रा, परियोजना शीर्ष-सह-Consultant (SeMT)	अभ्यर्थी जिनका प्रथम नाम अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर S से Z तक हो।	7779977795

उपरोक्त व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से निम्नांकित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है:

1. DEOs, प्रोग्रामर आदि द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस 9:30 am – 11:00 am की अवधि के बीच उपर अंकित दूरभाष के माध्यम से अपना Grievance कार्मिक कल्याण पदाधिकारी के पास दर्ज करा देंगे जो मामले को सुन कर उसे पंजीकृत करेंगे।
2. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (CBT) उत्तीर्ण एवं निगम द्वारा संधारित पैनल में शामिल अभ्यर्थियों (deployed or undeployed) के संबंध में ही Grievances को का०क०प० द्वारा स्वयं पंजीकृत करेंगे एवं निस्तारण हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

3. यदि किसी का०क०प० के पास उनके लिए निर्दिष्ट आवेदक के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों के भी दूरे जाते हैं तो पदाधिकारी उनको संबंधित का०क०प० को बात करे ऐसा न कहकर उनके Grievance को भी पंजीकृत कर संबंधित का०क०प० को उसे अग्रसारित करेंगे।
4. GM तथा प्रभारी मानव संसाधन द्वारा तीनों कार्मिक कल्याण पदाधिकारीगण के साथ प्रत्येक 3:00 बजे शुक्रवार को बैठक कर शेष unresolved Grievances की समीक्षा करेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रबंधन को आवश्यक परामर्श देंगे।

सभी संबंधित पदाधिकारीगण द्वारा इस व्यवस्था को दिनांक 16.08.2021 तक लागू करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं दिनांक 16.08.2021 (9:30 बजे) से अभ्यर्थी दूरभाष के माध्यम से अपनी कठिनाई से का०क०प० को अवगत कराना आरंभ कर सकते हैं।

संतोष 12/8/21

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 4091/2021
प्रतिलिपि :-

पटना,

दिनांक 13/08/2021

1. निगम का Website
2. सूचना पट, निगम मुख्यालय, पटना।
3. निगम का twitter handle
4. सभी संबंधित पदाधिकारियों/प्र० नि० कोषांग/महाप्रबंधक कोषांग

को सूचनार्थ प्रेषित।

PMK 12/8/21
प्रभारी (मानव संसाधन)